न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार।** (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **191/2023** GCMS 2023/490

प्रार्थी :–

1. बिरदाराम पुत्र गणेशराम
2. नाथूराम पुत्र गणेशराम
3. कानाराम पुत्र रामदेव
4. गुलाबी देवी पुत्री रामदेव
5. सुखालाल पुत्र रामदेव
6. संतू देवी पुत्री रामदेव
7. बाबुलाल पुत्र रामदेव
8. पांची देवी पुत्री रामदेव
9. गिरधारीलाल पुत्र तिलोक
10. छोटूराम पुत्र बोदूराम
11. प्रकाश चन्द पुत्र बोदूराम
12. मुकेश पुत्र बोदूराम
13. मूली पत्नी बोदूराम
14. राकेश पुत्र बोदूराम
15. संतोष पुत्री बोदूराम
16. धन्नी देवी पुत्री बोदूराम
17. धन्ना पुत्र लादू
18. बंशीलाल पुत्र गुमानाराम
19. महावीर पुत्र गुमानाराम
20. सुवालाल पुत्र गुमानाराम प्रार्थी संख्या 01 ता 20 जाति रेगर निवासियान पांचवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 60 सपठित नियम 372 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– वकील प्रार्थी श्री [illegible]

राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

–:निर्णय :–

दिनांक :– 04/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम पांचवा की सरहद में गत खसरा नम्बर 87 अवस्थित रही। नावां तहसील में द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 87 के नवीन खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28 कुल खसरे 04 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर कायम हुए है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 87 के पूर्व दिशा में गत खसरा नम्बर 84 गै.मु. रास्ता आया हुआ था तथा गत खसरा नम्बर 84 गै.मु. रास्ता के पूर्व दिशा में गत खसरा नम्बर 80 अवस्थित था। गत खसरा नम्बर 80 का कोई भी भाग गत खसरा नम्बर 84 गै.मु. रास्ता के पश्चिम् दिशा में अवस्थित नहीं रहा। गत खसरा नम्बर 84 गै.मु. रास्ता के द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 118 कायम हुए तथा गत खसरा नम्बर 80 के नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.90 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.20 हैक्टयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 2.27 हैक्टयर कायम हुए। गत खसरा नम्बर 80 का कोई भी भाग गत खसरा नम्बर 84 गै.मु. रास्ता के पश्चिम दिशा में नहीं था, परंतु द्वितीय भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 18 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 29 रकबा 0.17 हैक्टयर बिना किसी अधिकार के गलत रूप से तरमीम कर दिया जबकि नक्शा शीट सन् 1956 को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 80 का कोई भी भाग गत खसरा 84 गै0मु0 रास्ता के पश्चिम दिशा में आया हुआ नहीं है। भू–प्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहवन से यह त्रुटि कारित कर खसरा नम्बर 29 खसरा 118 के पश्चिम दिशा में राजस्व नक्शे में तरमीम कर त्रुटि की है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 29 गत खसरा नम्बर 80 का भाग है इसलिए खसरा नम्बर 29 खसरा 118 गै0मु0 रास्ते के पूरब दिशा में तरमीम किया जाना आवश्यक है जिससे भू–प्रबंध अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जा सके। यदि खसरा नम्बर 29 का डायग्राम राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 118 के पूरब दिशा में खसरा नम्बर 97, 98 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

तरमीम किया जाने से किसी भी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होते। प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा 4.83 हैक्टयर है। खसरा नम्बर 29 का डायग्राम खसरा नम्बर 118 के पश्चिम दिशा में रहने से प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा राजस्व नक्शे के डायग्राम में पूरा नहीं होता है। खसरा नम्बर 29 के डायग्राम की तरमीम खसरा नम्बर 118 के पूरब दिशा में करने से नक्शे के डायग्राम खसरा नम्बर 118 के पश्चिम दिशा में गलत रूप से तरमीम किया गया है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शे में जो त्रुटि की गई है उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी क्योंकि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खसरा नम्बर 18 के पश्चिम दिशा में सींवाजोड़ आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे की नकलें दिनांक 06.04.2023 को रिकॉर्ड शाखा नागौर से प्राप्त होने पर उपर्युक्त वर्णित त्रुटि का ज्ञान हुआ। प्रार्थी भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। ग्राम पांचवा के राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 118 गै0मु0 रास्ता के पश्चिम दिशा में गलत रूप से तरमीम किये गये खसरा नम्बर 29 को खसरा नम्बर 118 के पूरब दिशा में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

ग्राम पांचवा के राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 118 गै0मु0 रास्ता के पश्चिम दिशा में की गई तरमीम को हटाकर खसरा नम्बर 29 को खसरा नम्बर 118 के पूरब दिशा में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)